Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **तहसील कार्यालय बरनाला, जिला सवाई माधोपुर के कनिष्ठ सहायक कुलदीप सिंह 18,500/– रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार व तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता फरार।**

जयपुर, 24 नवम्बर, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी सवाई माधोपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **आरोपी कुलदीप सिंह, कनिष्ठ सहायक को तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के द्वारा परिवादी से कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक** को प्राप्त की गई रिश्वत राशि **18,500/– रुपये** के रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता को कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया जिसकी तलाशी जारी हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादी से उसके पिता द्वारा जरिये दानपत्र की गयी भूमि की रजिस्ट्री करवाने की एवज में तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता द्वारा कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के मार्फत से रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के पिताजी के नाम की कृषि भूमि को परिवादी की पत्नि के नाम से भूमि की रजिस्ट्री करवाने की एवज में तहसीदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता अपने कार्यालय में पदस्थापित कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के मार्फत परिवादी से तहसीदार व स्वयं लिये 28,500/– रूपये चालान सहित रिश्वत राशि की मांग की गई, इस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो ईकाई सवाई माधोपुर पर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर दिनांक 20.11.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन में कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक ने परिवादी से ऑन लाईन चालान सीताराम की ई–मित्र की दुकान पर 10,000/– रूपये करवा दिया एवं परिवादी के पास शेष राशि 18,500/– नहीं होने पर रजिस्ट्री के दिन लेने पर सहमत हुआ। उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 18,500/– रूपये आज दिनांक 24.11.2025 को आरोपी कुलदीप सिंह बाबू द्वारा तहसीदार लक्ष्मण गुप्ता से जरिये मोबाईल बात कर परिवादी से सीताराम ई–मित्र की दुकान पर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रिश्वत राशि रखना एवं परिवादी सहित सीताराम ई–मित्र की दुकान से रवाना होकर तहसील कार्यालय बरनाला में पहुंचना एवं तहसील कार्यालय में आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी भरतपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में **श्री ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** एसीबी सवाई माधोपुर द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक को परिवादी से 18,500/– रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है व तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता को कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।